



पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचदश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-१

सोमवार, तिथि 01 पौष 1936 (श०)
22 दिसम्बर, 2014 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 32

(1)	गृह विभाग	20
(2)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	03
(3)	सारिधिक वित्त विभाग	04
(4)	गन्ना उद्योग विभाग	02
(5)	उद्योग विभाग	01
(6)	कारा विभाग	01
(7)	मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग	01
कुल योग —					<u>32</u>

कब्रिस्तान की धेराबंदी

*1. श्रीमती नीता चौधरी--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर प्रखंड अन्तर्गत दरिया-2 में मौजा दरियापुर के खाता नम्बर 1025, 1026 में कब्रिस्तान की धेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की धेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की धेराबंदी

*2. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत बौलिया ग्राम पंचायत के कनचीरा कब्रिस्तान की धेराबंदी नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की धेराबंदी का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुरक्षा मुहैया कराना

*3. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अन्तर्गत नारायणपुर पुल के आस-पास का इलाका यथा दरमाहा, पीपराखेम, दिलखरपुर, मेदनशिर, शियापुरण, छपरा माओवाद प्रभावित क्षेत्र है तथा यह क्षेत्र किसी भी पुलिस थाने यथा चकिया, कल्याणपुर, केसरिया से इसकी दूरी लगभग 15-20 किमी है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर पुलिस थाना या चौकी नहीं रहने से आमजनों को सुरक्षा की चिंता बनी रहती है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नारायणपुर में पुलिस चौकी खोलकर आस-पास के जनजीवन को सुरक्षा मुहैया कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरित करना

*4. श्री अजय कुमार बुलानी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहनपुर प्रखंड अन्तर्गत मोहनपुर ओ०पी० का उद्घाटन 23 मार्च, 2012 को किया गया था और इसे प्रखंड मुख्यालय से ३ किमी० दूर धरनीपट्टी पूरब पंचायत के रसलपुर गाँव में गंगा नदी के किनारे सामुदायिक भवन से संचालित किया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि ओ०पी० का भवन जर्जर है जिसमें मालखाना, हाजत और अन्य सुविधा भी नहीं है, जबकि प्रखंड मुख्यालय के बगल में ओ०पी० के लिये पर्याप्त भवन मौजूद है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त खंड में वर्णित ओ०पी० को प्रखंड मुख्यालय के पास बनी भवनों में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारा गृह का निर्माण

*5. श्रीमती रशिम वर्मा--क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला अन्तर्गत नरकटियागंज को अनुमंडल बने 20 वर्ष हो गये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि बैतिया में एकमात्र जेल है जो नरकटियागंज से लगभग 40 कि०मी० की दूरी पर स्थित होने के कारण कैदियों से मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी बन्द हैं;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नरकटियागंज में अनुमंडलीय कारा गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

एकेडमी का गठन

*6. श्री सुवोध राय--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मगही, भोजपुरी एवं मैथिली भाषा के लिये राज्य में अलग-अलग एकेडमी का गठन किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि मुंगेर, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, बाँका, पूर्णियाँ, कटिहार आदि जिलों में अंगिका भाषा-भाषियों की आबादी है और अंगिका एक अल्यंत ही लोकप्रिय भाषा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अंगिका भाषा के लिये अलग एकेडमी गठन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*7. श्रीमती सुनीता सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड थाना में इन्सपेक्टर एवं सब-इन्सपेक्टर का पद विष्ट 2 वर्षों से रिक्त है;

(2) क्या यह बात सही है कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, जिसके कारण प्रशासनिक कायाँ में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक उक्त थाना में इन्सपेक्टर एवं सब-इन्सपेक्टर का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपराध पर काबू

*8. श्री तारकिशोर प्रसाद--28 अगस्त, 2014 के दैनिक जागरण समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "भाजपा, जदू य गठबन्धन टूटने के बाद अपराधी बेलगाम" के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013-14 में अभीतक पूर्वी बिहार एवं कोसी क्षेत्र में हत्या, अपहरण, डकैती, लूट एवं दुष्कर्म की आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि अपराध की बढ़ती घटनाओं के कारण बिहार से लोगों का पलायन बढ़ने के साथ-साथ व्यावसायिक निवेश में भी कमी आयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बढ़ रहे अपराध पर काबू पाने के लिये कौन-कौन-सा कदम उठा रही है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*9. डॉ० फैयाज अहमद--क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के विस्फी प्रखण्डान्तर्गत अवस्थित सिमरी बाजार एक व्यावसायिक मार्केट है, लेकिन वहाँ एक भी नेशनलाईज बैंक की सी०बी०एस० शाखा नहीं रहने के कारण वहाँ

(2) क्या यह बात सही है कि व्यावसायिक बैंक की सी०बी०एस० शाखा नहीं रहने के कारण वहाँ के व्यवसायियों एवं आम नागरिकों को बैंकिंग कार्य हेतु कार्य हेतु 20 कि०मी० दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सिमरी बाजार में कॉर्मशिर्यल बैंक की सी०बी०एस० शाखा खोलने हेतु प्रस्ताव बैंक मुख्यालय को भेजने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलने की कार्रवाई

*10. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय "पष्टु"--क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखण्ड स्थित सोनहुला पंचायत के खालगाँव, सुजानपुर, रामपुर जागा, चाडीदुर्ग, ओझा चाडी, विष्णुपुरा गाँव में सरकारी बैंक नहीं हैं, जिसकी आवादी लगभग 30 (तीस) हजार से अधिक है, यदि हाँ, तो क्या सरकार खालगाँव में बैंक खोलने की कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की धेराबंदी

*11. श्री राजेश सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला के मधुबनी प्रखण्ड के बासीधाम मेला के पास दहवा कब्रिस्तान है, जिसकी धेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान का आम रास्ता, शौच एवं पशुओं का चारागाह में उपयोग होता है;

(2) यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की धेराबंदी जनहित में कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीणोंदार करना

*12. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक ल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड के कलानन्द उच्च विद्यालय, गढ़बनौली एवं अब्बू कलाम छात्रावास के विगत 10 वर्षों से काफी जर्जर होने का राग अल्पसंख्यक छात्रों को रहने में काफी कठिनाई हो रही है;

(2) यदि हाँ, तो सरकार उक्त छात्रावास का जीणोंदार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*13. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ईखायुक्त पत्र संख्या 1/रेग0-8-800-1/13-800, दिनांक 23 अप्रैल, 2013 द्वारा बिहार राज्य के सभी कार्यरत निजी चीनी मिल दखलकार/कार्यपालक अध्यक्ष/महाप्रबंधक/प्रबंधक को किसानों के बीच परिचय-पत्र के साथ कैलेण्डर तैयार कर पर्ची वितरण हेतु नये सर्वेक्षण नीति अन्तर्गत आदेश निर्गत किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के कार्यरत सभी चीनी मिलों के द्वारा पेराई वर्ष 2014-15 में नये सर्वेक्षण नीति अन्तर्गत कैलेण्डर तैयार कर 5 लाख किसानों के बीच पर्ची का वितरण नहीं किया जा रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गन्ना कृषकों के बीच कैलेण्डर तैयार कर पर्ची वितरण नहीं करने वाले दोषी चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

स्पीडी ट्रायल बन्द कराने का औचित्य

*14. डॉ। अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 18 नवम्बर, 2014 के अंक में छपी खबर "अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल बन्द" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य पुलिस मुख्यालय के पास वर्ष, 2013 के जून महीने के बाद राज्य में चल रहे स्पीडी ट्रायल के तहत कितने अपराधियों को सजा दिलायी गयी इसका ऑफिशियल उपलब्ध नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में अपराधियों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल बन्द हो गया है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सज्वामें अपराधियों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल बन्द कराने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*15. श्रीमती नीता चौधरी--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंडनार्तपत्ति पंचायत गाजीपुर के ग्राम इस्लामपुर के बाईं नम्बर 6 में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*16. श्री शिवेश कुमार--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के गढ़हनी प्रखंड के गढ़हनी (उत्तर पट्टी), गढ़हनी (विचली पट्टी) चाँदी गौरा, काडप एवं पड़हियाँ इत्यादी गाँवों में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की धेराबन्दी

*17. श्री अब्दुलबारी सिहिकी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत आंदर प्रखण्ड के ग्राम भौराजपुर स्थित कब्रिस्तान जिसका थाना नं० 290, खेसरा नं० 2705 तथा एराजी । बिगड़ा 15 कट्ठा 16 धूर है, के धेराबन्दी हेतु गृह विशेष विभाग के पत्रांक 13907, दिनांक 2 सितम्बर, 2011 द्वारा जिलाधिकारी, सीवान को आदेश दिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य हेतु आंदर प्रखण्ड के प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को वर्ष 2011 में 4,47,500 रुपये अग्रिम भुगतान किया गया था, लेकिन आजतक कब्रिस्तान की धेराबन्दी नहीं की गयी जिसके लिये सहकारिता पदाधिकारी पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अन्दर के पत्रांक 359, दिनांक 21 फरवरी, 2013 द्वारा प्राथमिक दर्ज की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त पदाधिकारी को सरकारी राशि का गबन के आरोप में गिरफ्तारी करने तथा सरकार कबतक वर्णित कब्रिस्तान की धेराबन्दी कराने का विचार रखती है, ?

कब्रिस्तानों की धेराबन्दी

*18. श्री दिनेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखण्ड के छाँवा, दलिपुर एवं चकवाँ कब्रिस्तान की धेराबन्दी आजतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की धेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*19. श्री मचोन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के संग्रामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत भटवलिया, बरवा, ड० मधुबनी, ड० मधुबनी, पूर्वी मधुबनी पंचायतों की आबादी लगभग 50 हजार से ज्यादा तथा क्षेत्रफल लगभग 15 कि०मी० है तथा इन पंचायतों में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएँ नहीं रहने से आमलोगों को बैंक संबंधित कार्यों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन पंचायतों के बीच अवस्थित मधुबनी बाजार पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएँ कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्पादन चालू करना

*20. श्री अरुण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित शीर्षक "करोड़ों रुपये खर्च, यूनिट टप" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देश में इस्पात की खपत को दो गुणा बढ़ाने के उद्देश्य से विहार के पश्चिम चम्पारण जिले के कुमारबाग स्टील प्रेसेसिंग यूनिट के उद्घाटन के पाँच वर्ष से अधिक बीतने के बाद भी उत्पादन प्रारम्भ वर्ष 2009 से होकर बंद हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि क्वालिटी टेस्टिंग के दौरान इसके उत्पाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सही होने के बावजूद अभीतक क्वालिटी टेस्टिंग के नाम पर उक्त प्लांट से उत्पादन नहीं हो रहा है, जिससे गन्य के उपभोक्ताओं को उत्पाद प्राप्त नहीं हो रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्टील प्रोसेसिंग यूनिट को कबतक चालू कर उत्पादन कराना चाहती है ?

कब्रिस्तान की धेराबन्दी

*21. डॉ. फैयाज अहमद—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत विस्फी प्रखण्ड के औंसी, जीरोमाईल, पतीना, राघोपुर, तीसी, रजवान, शिवौल, पोआरी, चन्द्रबना, सोंहास, हसनापुर, सिधिया, बहपुराघाट, मरवा (इस्लामपुर टोल) कब्रिस्तानों की धेराबन्दी नहीं कराये जाने की वजह से वहाँ पशुओं का चारागाह बन गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जनहित में उक्त कब्रिस्तानों की धेराबन्दी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*22. मो. आफाक आलम—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड रियाजुलउलूम मिर्जावारी संख्या 365 के छात्रावास भवन का निर्माण एम०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत वर्ष 2013 में कराया जाना था, लेकिन आजतक छात्रावास का भवन निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रियाजुलउलूम मिर्जावारी के छात्रावास का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त कमरे का निर्माण

*23. डॉ. इजहार अहमद—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित “एक कमरे में बैठते हैं 19 पुलिसकर्मी” शीर्षक को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत सबसे पुराना गर्दनीबाग थाना तीन कमरों में चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि थाने में 48 पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिनमें नौ दरोगा सात ए०एस०आई० और तीन मुंशी अलग-अलग शिफ्टों में कार्य का निष्पादन करते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक थाने में अतिरिक्त कमरे के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*24. श्री गोपालजी ठाकुर—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ा थाना की स्थिति अत्यन्त ही जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार बहेड़ा थाना भवन की मरम्मती एवं चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?

कब्रिस्तान की धेराबंदी

*25. श्री दिनेश कुमार सिंह - क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखण्ड के रामनाथ टोला, अकरुर्झों के सर्वों एवं ऐना कब्रिस्तान की धेराबंदी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो उक्त कब्रिस्तान की धेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा की स्थापना

*26. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह - क्या मंत्री, सार्वस्थक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखण्ड के चन्द्रगढ़, तोल, बैरिया बाजार, चैनपुर, बेलाई, मझियावां एवं धुंधुआ बड़ी आबादी वाला गाँव है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँवों में अबतक कोई बैंक की शाखा नहीं है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त गाँवों में बैंक की शाखा की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*27. श्रीमती सुनीता सिंह - क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत हसनगंज थाना के इन्सपेक्टर एवं सब-इन्सपेक्टर एवं सब-इन्सपेक्टर की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक तरियानी थाना में इन्सपेक्टर एवं सब-इन्सपेक्टर की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना की स्थापना करना

*28. श्री तारकिशोर प्रसाद - क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत हसनगंज थाना के सृजन की अधिसूचना संख्या 2/थाना-1013/2013/गृ०आ०-1311 द्वारा 18 फरवरी, 2014 को निर्गत हो चुकी है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि अधिसूचना के 9 महीने बाद भी हसनगंज थाना की स्थापना नहीं हो पायी है जिससे कानून-व्यवस्था नियंत्रण में कठिनाई हो रही है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक हसनगंज थाना की स्थापना एवं भवन निर्माण करने का इरादा रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*29. श्री मनोहर प्रसाद सिंह - क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी अनुमंडल क्षेत्र में मनिहारी, अमदाबाद प्रखण्ड में कमालपुर, बैजनाथपुर, कारगिल, महेशपुर, काला दियारा, गदाई दियारा गंगा नदी के पार आपराधिक गतिविधि वाला दियारा क्षेत्र है, जहाँ पहुँचने का एकमात्र साधन नाव है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रशासन के लिये कबतक माटरबोट उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

*30. श्री अम्बिका सिंह-- क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैम्पुर जिला के रामगढ़ प्रखण्ड के मसाढ़ी गाँव के कांगड़ास्तान की चाहारदीवारी नहीं होने के कारण कांगड़ास्तान पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँव के कांगड़ास्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*31. डॉ० अच्युतानन्द-- दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 18 नवम्बर, 2014 के अंक में छपी खबर "धर की चीनी मिल में, खा रहे बाहर की "शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के चीनी मिल को उनके द्वारा उत्पादित चीनी की उचित कीमत नहीं मिलने के कारण 17 लाख मिट्रीक टन चीनी बिहार के विभिन्न मिलों के गोदामों में पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य की मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की कीमत में महाराष्ट्र की चीनी की कीमत कम रहने के कारण राज्य के मिलों की चीनी की बिक्री बन्द है ;

(3) क्या यह बात सही है कि चीनी की बिक्री नहीं होने के कारण राज्य के चीनी मिल मालिकों द्वारा राज्य के गन्ना उत्पादकों को बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के गन्ना उत्पादकों के बकाये का भुगतान करने और चीनी मिल के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिये कौन सी कार्रवाई करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कम्प्यूटर लगाना

*32. श्री मंजीत कुमार सिंह-- क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विसीय वर्ष 2011-12 में सरकार ने सभी अनुदानित मदरसों में कम्प्यूटर लगाने की घोषणा की थी तथा कम्प्यूटर लगाने हेतु कैविनेट से 28 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि कैविनेट की मंजूरी एवं राशि स्वीकृत के बावजूद भी अबतक बिहार के किसी भी अनुदानित मदरसों में कम्प्यूटर नहीं लगाया जा सका ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अनुदानित मदरसों में सरकार कबतक कम्प्यूटर लगाने का विचार रखती है ?

पटना:

दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 (ई०) ।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।